अर्द्ध0 शा0 प0 सं0 324 पी0 आर0 सी0/चौ0-1/1990

राज कुमार भार्गव

उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
लखनऊ: दिनांक 5 अप्रैल, 1990

प्रिय महोदय,

राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों के वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में समता समिति की संस्तुतियों को तथा विभिन्न प्रकार के भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति 1987 की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित दरें लागू किये जाने के आदेश शासन द्वारा डायरेक्टिव के रूप में जारी किये जा चुके हैं। अतः इन्हें यथावत लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये क्योंकि जहां एक ओर शासनादेशों के विपरीत वेतन भत्तों में परिवर्तन/परिवर्धन की कार्यवाही अनियमित होगी वहीं इससे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में एकरूपता स्थापित करने का शासन का उद्देश्य भी विफल हो जाता है। साथ ही साथ सार्वजनिक उद्यमों पर अनावश्यक वित्तीय भार भी बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप घाटे के कई उद्यमों की आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है।

इस प्रसंग में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि शासनादेश संख्या 2123/ड्यूरों-55/77, दिनांक 4 जून, 1977 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि जब कभी कोई सार्वजनिक उद्यम अपने कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की नई सुविधा स्वीकृति किये जाने के प्रश्न पर विचार करे तो ऐसे मामलों में निर्णय लेने से पूर्व अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उद्यम विभाग का परामर्श प्राप्त करना होगा। शासन की जानकारी में यह आया है कि कतिपय निगमों द्वारा कई ऐसे वेतनमान, भत्ते, परिलब्धियां एवं अन्य सुविधाएं अपने कर्मियों को अनुमन्य की जा रही हैं जो शासन द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। समता समिति ने भी इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है तथा यह संस्तुति की है कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक उद्यम को अपने स्तर से वेतनमान बढ़ाने की स्वच्छन्दता नहीं होनी चाहिए।

यह भी देखा गया है कि समय-समय पर गठित वेतन आयोग/समितियों के कार्यकाल के दौरान कतिपय उद्यमों द्वारा अपने स्तर से कई सुविधाओं/वेतन भत्तों में वृद्धि कर ली गई है जबकि इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1345/चौ0-1-1980-35/77, दिनांक 3 जुलाई, 1990 एवं सं0-487/चौवाकिन-1-16/88, दिनांक 17 मार्च, 1988 द्वारा स्पष्ट निर्देश किए गए थे कि वेतन आयोग/समिति के कार्यकाल में वेतनमानों में उच्चीकरण, भत्तों में बढ़ोत्तरी तथा अतिरिक्त सुविधाओं सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पारित न किए जायें; फिर भी चूंकि कई उद्यमों द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः विवश होकर समता-समिति की संस्तुति पर शासन को ऐसे निर्देश देने पड़े कि दिनांक 1-1-86 को विद्यमान वेतमानों को ही आधार मानकर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति दी जायें।

आप अवगत हैं कि शासन द्वारा काफी उदारतापूर्वक वेतन समिति/समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि की गई है: यहां तक की समता समिति ने राज्य कर्मचारियों से भी कुछ ऊंचे वेतनमानों की संस्तुति की है। अतः मुझे आपको यह स्पष्ट करना है कि यदि शासनादेशों के विपरीत कोई वेतनमान, भत्ते, परिलब्धियां अथवा सुविधाएं आप के निगम में दी जा रही हों तो उसे अपने स्तर से शासनादेशों के अनुरूप समाप्त/रेशनलाईज करने की कार्यवाही तुरन्त करें। यदि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कार्यहित में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पहले से चली आ रही कोई अतिरिक्त सुविधा/भत्ता अथवा परिलब्धियों में की गई वृद्धि बनाये रखना अपरिहार्य हो तो उसे नियमित कराने के लिए पूर्ण औचित्य के साथ एक मुद्दत प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग को दिनांक 31-5-90 तक प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अन्यथा अपने उद्यम के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आपके उद्यम में शासनादेशों का विचलन नहीं हुआ है और शासन की अनुमति से ही अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन, भत्ता परिलब्धियां एवं सुविधाएं आदि दी जा रही हैं, उक्त निर्धारित तिथि तक भेजा जाये।

भवदीय,
राज कुमार भार्गव